**राजस्थान सरकार**

**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर**

कमांकः प्रशि./म.स्वा.का./एफ–34/2014/ दिनांक :

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रधानाचार्य/प्रभारी अधिकारी,
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (राज0)

विषय :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षणाार्थियों हेतु उपलब्ध छात्रावास एवं शैक्षणिक भवन की क्षमता बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नया पाठ्यकम लागू करने से प्रशिक्षण अवधि 18 माह के स्थान पर दो वर्ष हो गयी है। उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु जहां पूर्व में 18 माह बाद प्रवेश दिये जाते थे। उसके स्थान पर प्रति वर्ष प्रवेश दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रकार यदि प्रति वर्ष प्रवेश दिये जाते है प्रशिक्षण केन्द्र पर दो बैचों में छात्र एक साथ प्रशिक्षणरत रहेंगे ऐसी स्थिति में केन्द्र पर दो बैच हेतु शैक्षणिक भवन एवं इसी प्रकार दो बैचो के प्रशिक्षणार्थीयों को आवास हेतु छात्रावास भवन की आवश्यकता होगी क्योंकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यकम पूरी तरह से आवासीय पाठ्यकम पूर्व से निर्धारित है। अपने केन्द्र पर उपरोक्तानुसार भवन की उपलब्धता की वस्तुस्थिति की सूचना तत्काल निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित किया जावे। यह भी अवगत कराया जावे कि भवन अपर्याप्तता की स्थिति में क्या प्रयास किये जाने वांछित होगे।

Sd-
(डॉ के.सी.मीणा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कमांकः प्रशि./म.स्वा.का./एफ–34/2014/ 1224 दिनांक : 25-8-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. कार्यालय/आदेश/रक्षित पत्रावली।

22/8/14

(डॉ के.सी.मीणा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0जयपुर

D:\Traning Section \ Hindi letter 2014